

संख्या फिन-ए-सी (6)1/2022
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171002,


01-04-2023.

विषय: हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2023 (2023 का विधेयक संख्याक 3).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक 3) में प्रावधित करवाई गई राशि, जो अनुपूरक अनुदान मांगों वर्ष 2022-2023 से सम्बन्धित है, को विधान सभा द्वारा दिनांक 15.02.2023 को बिना किसी परिवर्तन के पारित कर दिया है। राज्यपाल महोदय ने भी इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दिनांक 31.03.2023 को प्रदान कर दी है और यह विधेयक वर्ष 2023 के अधिनियम संख्याक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में दिनांक 31.03.2023 को प्रकाशित हो चुका है।

भवदीय,



(प्रदीप कुमार)


उप-सचिव(वित्त बजट),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-171002,

01-04-2023.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) हिमाचल प्रदेश शिमला-171003.
2. महालेखाकार हिमाचल प्रदेश (ले० व ह०) शिमला-171003.
3. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हि० प्र० सरकार शिमला।



(प्रदीप कुमार)

उप-सचिव(वित्त बजट),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
